न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः—श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

50

प्रकरण क्रमांक निगरानी 738—तीन/2003 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 31—03—2003 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 41/2002—03/निगरानी

.....

रामेश्वरदयाल पुत्र जयराम प्रसाद अरेले,
निवासी — पुरानी बस्ती, तहसील व जिला—भिण्ड (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

रामलखन पुत्र श्री ,रामेश्वर दयाल पुत्र अरेले,
निवासी — पुरानी बस्ती, तहसील व
जिला—भिण्ड (म0प्र0)

.....अनावेदक

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 3-11-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना द्वारा प्रकरण पारित आदेश दिनांक 31—03—2003 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार भिण्ड के आदेश दिनांक 10.01.1983 के संबंध में संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत 20 वर्ष बाद आवेदक पत्र प्रस्तुत किया । विचारण न्यायालय ने आवेदक को तलब किये बगैर अनावेदक के आवेदन पत्र को दर्ज कर लिया । अपर कलेक्टर ने भी विचारण न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही को सही ठहराते हुये आवेदक की निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से दुखित होकर आवेदक ने

अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष द्वितीय निगरानी प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रमांक 41/2002–03/निगरानी पर दर्ज होकर दिनांक 31.03.03 द्वारा अस्वीकार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत बताया कि अनावेदक द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता प्रथम दृष्टता है प्रचलन न होने से निरस्ती योग्य था, क्योंकि अर्न्तनिहित शक्ति का प्रयोग किसी प्रकरण के प्रचलन के दौरान किया जा सकता है । ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिये नवीन प्रकरण चालू नहीं किया जा सकता। इस कानूनी स्थिति पर अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई विचार नहीं किया। विवादित आदेश के पद 1 से स्पष्ट है कि अनावेदक का आवेदन रिकार्ड में संशोधन हेतु दिया गया है जो धारा 115 व 116 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अधीन आता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन बिन्दू पर ध्यान दिये बिना ही आदेश पारित किया है । ऐसा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का साथ ही निगरानी सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 10.01.83 में आवेदक एवं अनावेदक प्रथम पक्ष है तथा सरदार खां आदि द्वितीय पक्ष है । उक्त आदेश द्वारा विवादित भूमि का बटवारा स्वीकार किया गया, जिसके अनुसार आवेदक तथा अनावेदक को संयुक्त स्व से सर्वे क्र0 3630 रकबा 0.690 आरे, सर्वे क्र0 3631 रकबा 0.010 आरे तथा सर्वे क्र0 3924 रकबा 0.053 आरे, बटवारे में दिया गया । इस आदेश का अमल करते समय अनावेदक का नाम छूट गया । केवल आवेदन पर आवेदक का नाम लिखा गया । सहवन हुई इस भूल को सुधारने के लिये अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन दिया । इस संबंध में आवेदक का तर्क है कि संहिता की धारा 32 इस प्रकरण में प्रचलन योग्य नहीं है, यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है,

कि संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत राजस्व न्यायालय को अंर्निहित शक्ति दी गई। राजस्व न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकते है –1. न्याय के उद्देश्यों के लिये, 2. न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग रोकने के लिये। आवेदक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि अनावेदक को अपील या निगरानी करनी चाहिये। इस प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से अनावेदक परिवेदित नहीं है और न ही उक्त आदेश से उसे कोई हानि हुई है। आदेश के त्रुटिपूर्ण अमल करने से अनावेदक को हानि हुई है । जब आदेश त्रुटिपूर्ण नहीं है तो उसके विरूद्ध अपील या निगरानी करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । आवेदक ने जो न्याय की गई है, केवल आवेदन पत्र ग्राह्य कर सुनवाई प्रारंभ की गई है । ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय की उक्त कार्यवाही को आवेदक द्वारा चुनौती दिया जाना औचित्यहीन है । इसी स्तर पर अपर आयुक्त ने अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश को यथावत रखा है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2003 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । फलतः निगरानी आधारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त किया जाता है । समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर